संख्या-932/चौदह-4-2018-43(बजट)/2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश , लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक 04 मई, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष-2018-19 में ' ' मूसाबाग वन क्षेत्र लखनऊ का विकास एवं संरक्षण योजना ' ' के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 50.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0-पी-1278/36-बी-8 (मूसाबाग)/2018-19 दिनांक 09.05.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत ''मूसाबाग वन क्षेत्र लखनऊ का विकास एवं संरक्षण योजना'' योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (रू0 लाख में)

लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृति जारी करने हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	3	4
अनुदान संख्या-60-		
पूंजीलेखा-		
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-		
01-वानिकी-		
800-अन्य व्यय-		
03-मूसाबाग वन क्षेत्र, लखनऊ का विकास एवं संरक्षण-		
24-वृहत निर्माण कार्य	50.00	50.00
योग:-	**50.00**	**50.00**

(रू0 पचास लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- व्यय को निर्धारित मानको के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी मद/लेखाशीर्षक में व्यय करने के पूर्व वित्त/नियोजन विभाग की सहमति अपेक्षित हो तो यथावश्यक सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जाय।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक/डाक घर खाता /डिपाजिट खाता अथवा पी.एल.ए. में आदि में जमा नहीं किया जायेगा।

5- प्रश्नगत योजनान्तर्गत विगत में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

6- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

7- स्वीकृत धनराशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के उक्त पत्र दिनांक 09.05.2018 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जाय।

8- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /दिवरावृत्ति न हो। समस्त औपचारिकताएं तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- विषयगत योजना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत/आगणन एवं निर्देशों के आलोक में स्वीकृति धनराशि का व्यय किया जायेगा।

11- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

12- योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा क्रय संबंधी समस्त कार्य नियमानुसार जी.ई.एम. पोर्टल के माध्यम से ही किया जाय।

13- वित्त विभाग एवं नियोजन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत समस्त सुसंगत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या/2018/1-बी/375-1-दस-,2018/231-2018दिनांक 30.03.2018में निहित निर्देशों एवं प्रतिबंधों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं। अत: इनका अक्षरश: अनुपालन किया जाय।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-932(1)/चौदह-4-2018-43(बजट)/2017 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दि्वतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दि्वतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(डा0 दीपक कोहली)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanades.up.nic.in